"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 225] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 17 सितम्बर 2002—भाद्र 26, शक 1924

परिवहन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2002

अधिसूचना

क्रमांक 884/परिवहन/2002.—यत: राज्य सरकार ने यह विनिश्चित किया है कि छत्तीसगढ़ में राज्य परिवहन निगम का गठन करना आवश्यक नहीं है. इस विनिश्चय के अनुपालन में राज्य में कोई राज्य परिवहन निगम नहीं होगा;

और यत: मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अनेक योजनायें क्रमांक 13, 14, 15, 18, 19, 23, 26, 31, 31 एम, 32, 32 एम, 33, 41, 42, 42 एम, 51, 52, 52 एम, 57, 57 एम, 60, 61, 74 एवं 83 मंजूर की गई थी और वे योजनायें इस राज्य में लागू है;

अतएव, मोटरयान अधिनियम, 1988 (क्रमांक 59 सन् 1988) की धारा 102 की उप-धारा (2) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य की अधिकारिता के भीतर योजना क्रमांक 13, 14, 15, 18, 19, 23, 26, 31, 31 एम, 32, 32 एम, 33, 41, 42, 42 एम, 51, 52, 52 एम, 57, 57 एम, 60, 61, 74 एवं 83 को रद्द करना प्रस्तावित करती है;

और उक्त अधिसूचना ऐसे समस्त व्यक्तियों की, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जा रहा है और एतद्द्वारा, यह सूचना दी जाती है कि इस अधिसूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिन समाप्त होने के पश्चात् उक्त अधिसूचना पर विचार किया जाएगा;

ऐसी किसी भी आपत्ति या सुझाव पर, जो उक्त अधिसूचना के संबंध में किसी के द्वारा उक्त कालावधि के समाप्त होने के पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह), छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग को प्राप्त हो, मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, के कक्ष क्रमांक 216 तारीख 21-10-2002 को 11 बजे पूर्वान्ह, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. विज, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2002

क्रमांक 884/परिवहन/2002.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 17-9-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. विज, विशेष सचिव.

Raipur, the 17th September 2002

NOTIFICATION

No. 884/Transport/2002.—Whereas the Government of Chhattisgarh has taken a decision that the State Road Transport Corporation is not being constituted in the State of Chhattisgarh. In pursuance of this decision there will be no State Road Transport Corporation in this State;

And whereas so many Scheme Nos. 13, 14, 15, 18, 19, 23, 26, 31, 31 M, 32, 32 M, 33, 41, 42, 42 M, 51, 52, 52 M, 57, 57 M, 60, 61, 74 and 83 were sanctioned by Government of Madhya Pradesh and that schemes are also applicable to the Chhattisgarh State;

Therefore, in exercise of powers conferred by Sub-section (1) read with Sub-section (2) of Section 102 of Motor Vehicle Act, 1988 (No. 59 of 1988) the State Government hereby proposes to cancel the Scheme Nos. 13, 14, 15, 18, 19, 23, 26, 31, 31 M, 32, 32 M, 33, 41, 42, 42 M, 51, 52, 52 M, 57, 57 M, 60, 61, 74 and 83;

And this above Notification is being published for information of all persons likely to be affected, and notice is hereby given that the said notification will be taken into consideration on the expiry of 30 days from the date of publication of this notification in the Chhattisgarh Gazette;

Any objection or suggestions which may be received by Additional Chief Secretary (Home), Government of Chhattisgarh, Transport Department, Mantralaya, Dau Kalyan Singh Bhawan, room No. 209, on date 21-10-2002 at 11 A.M. from any person with respect to the said notification before the expiry of the above period will be considered by the State Government.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
R. K. VIJ, Special Secretary.

[illegible] नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.